10/9/18

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण 12, 13 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं ड्राप की जाती है। विपक्षीगण क्रमांक 11 के समन तामील जरिये प्रकाशन हो चुके हैं। विपक्षीगण को आवाज दिलवाई गई किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। निर्णय पृथक से लिखाया, सुनाया, खुले न्यायालय में घोषित किया गया। निर्णय अनुसार तरमीम पटवारी, तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जावे। [illegible] व आदेश [illegible] किया जावे।

प्रार्थी विपक्षीगण सं. 12 व 13 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री चेतन कुमार त्रिपाठी, RAS

प्रकरण संख्या 769/ 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री सूर्यप्रकाश पुत्र श्री रामनिवास ....

निवासी शाहपुरा — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

श्री रतनलाल पुत्र नारायण ....

निवासी शिवपुरा — विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री .... अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 10/9/18

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम शिवपुरा तहसील शाहपुरा / .... जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 0.71 है. 487 रकबा 0.03 है. 488 रकबा 0.70 है. .... कुल किता 3 .... रकबा 1.44 .... हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमांचिन्ह नही होंने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शिवपुरा .... संवत 2070 से 2073 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरा .... मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 .... रकबा 1.44 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / .... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / .... मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/9/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चेतन कुमार त्रिपाठी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:–तहसीलदार, शाहपुरा / .... पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner